National Journal of Multidisciplinary Research and Development

ISSN: 2455-9040

Impact Factor: RJIF 5.22 www.nationaljournals.com

Volume 2; Issue 3; September 2017; Page No. 608-611



फर्रुखाबाद के दरिद्र व्यक्तियों की शैक्षिकता का अध्ययन

डॉ. नीतू सिंह तोमर

एम.ए.,पी–एच.डी.(समाजशास्त्र) पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत।

सारांश

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद की जनसंख्या में 85% ग्रामीण एवं 15% नगरीय जनसंख्या है जिसमें व्यापक दरिद्रता और निरक्षरता है। दरिद्र व्यक्ति एवं उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक शिक्षा के अभाव में जीवन—यापन कर रहे हैं। निदर्श में चुने गए 1000 दरिद्र व्यक्तियों के परिवार में 96% दरिद्र शिक्षण संस्थानों के उपभोग से वंचित हैं और 91.9% दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों में सभी सदस्य अनपढ़ और निरक्षर हैं। अधिकांश बच्चों, किशोरों, छात्रों युवाओ को सूर्योदय—सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद और प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं है। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

मूल शब्द : निर्धन,कंगाल, व्यक्ति–मनुष्य,शिक्षा–पढ़ाई,अध्ययन–पाठ, आश्रित–पति–पत्नी एवं बच्चे,जनपद–प्रशासनिक क्षेत्र।

प्रस्तावना

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेत् छात्र–छात्राओं को अध्ययन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गूणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला एवं योग्ये शिक्षक, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषधि, सुरक्षा के लिए न्याय तथा अपराध के लिए दंड बुनियादी जरूरत है। हमारा लोकतांत्रिक संविधान जन–सामान्य के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति व्यवस्था हेतू दृढ संकल्पित है। हमारी सरकारें–कार्यपालिका, विघायका और न्यायपालिका अपनी यथाशक्ति से देश की जनसमस्याओं का समाधान कराने मे अपने दायित्वों का निर्वाहन कर रहीं हैं। परन्त् स्वार्थी लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैंठ कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर अराजकता कर रहे हैं। पर्यावरण सहित समाज की अधिकांश वस्तुएँ बुरी तरह विषाक्त तथा प्रदुषित की जा रही हैं। जीवन की बुनियादी शिक्षा शिक्षणहीन, प्रयोगशाला–विहीन, शिक्षण-विहीन और नकलयुक्त तथा उद्देश्यहीन हो गई है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी शिक्षा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता एवं आवश्यकता उसकी सामाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धर्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के अनुकूल होती है। समाज में होने वाले परितर्वन भी उसके स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते है। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता है। समाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियां एवं संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण एवं धार्मिक,राजनैतिक, आर्थिक स्थितियाँ तथा संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है वैसी ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा आधारभूत भूमिका अदा करती है।

शिक्षा का उद्देश्य

बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें सामाजिक

कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विभिन्न पक्ष—अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धित, अनुशासन, परीक्षा साधन, शिक्षक, बालक और स्कूल—कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः विकास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया प्रधान—सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, प्रगतिपत्रा, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज—दार्शनिक—पथप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फर्रुखाबाद की जनसंख्या में 85% ग्रामीण एवं 15% नगरीय जनसंख्या है जिसमें व्यापक दरिद्रता और निरक्षरता है। दरिद्र व्यक्ति एवं उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन—यापन कर रहे हैं। दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों की कुल संख्या 100600 जिनमें 90475 ग्रामीण एवं 8500 नगरीय हैं। जिले के अधिकांश कृषक और मजदूर निरक्षर हैं। दरिद्र बस्तियों में यह स्थिति और भी भयावह है जहाँ की अशिक्षा और निरक्षता 94—100% बनी हुई है। छात्र—छात्राओं, किशोरों, प्रशिक्षुओं व शिक्षा डिग्री—डिप्लोमा धारकों की शैक्षिक स्थिति में बड़ी अज्ञानता एवं निरक्षरता है। निम्न से उच्च शिक्षित बच्चों, किशोरों, छात्रों युवाओं को सूर्योदय—सूर्यास्त की दिशाओं एवं अक्षरों का ज्ञान नहीं है। अधिकांश नहीं जानते हैं कि वे किस जनपद—प्रदेश के निवासी हैं। लिखना—पढ़ना उनके वश की बात नहीं है। निरक्षरता और अज्ञानता उनके पतन की नियत बन चुकी है।

जनपद फर्रुखाबाद में तीन तहसीलें—फर्रुखाबाद, कायमगंज, अमृतपुर एवं सात विकासखण्ड— मोहम्दाबाद, बढ़पुर, कमालगंज, कायमगंज, शमशाबाद, नबाबगंज, राजेपुर तथा छ% नगर—फर्रुखाबाद, मोहम्मदाबाद, कमालगंज, शमशाबाद, कायमगंज, किम्पल हैं। जनपद के सात विकास खण्ड के अन्तर्गत 513 ग्रामसभाएँ और छ% नगरों के अन्तर्गत 117 वार्ड हैं। जनगणना—2011 के अनुसार, जनपद का कुल क्षेत्रफल 2181 वर्ग कि.मी., जनसंख्या घनत्व 865 व्यक्ति/कि.मी., लिंगानुपात 1000

पुरुषों पर ८७४ स्त्रियाँ तथा कुल जनसंख्या १८८७५७७ (१००७४७) पुरुष, 880098 स्त्रियाँ) एवं जनसंख्या वृद्धि 20% है। कुल साक्षर जनसंख्या 1125457 (70.57%) में पुरुष 676067 (79.34%) एवं स्त्रियाँ 449390 (60.51:) हैं। फर्रुखाबाद तहसील के विकास खण्ड–बढ़पुर की कुल जनसंख्या 164730 (88654 पुरुष, 76076 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 7702 है, कमालगंज की कुल जनसंख्या 777306 (145816 पुरुष, 131490 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या २००६८ है, विकास खण्ड मोहम्मदाबाद की जनसंख्या २५९३९६ (138745 पुरुष, 120651 स्त्रियाँ) में दिरद्रों की संख्या 17594 है। कायमगंज तहसील के विकास खण्ड कायमगंज की कुल जनसंख्या 225078 (120607 पुरुष, 104471 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 15219 है, शमशाबाद की कुल जनसंख्या 202229 (108229 पुरुष, 94070 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 15700 है, नबाबगंज की कुल जनसंख्या 165555 (88970 पुरुष, 76585 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या 12523 है। अमृतपुर तहसील के विकास खण्ड राजेपुर की जनसंख्या 186183 (100390 पुरुष, 85793 स्त्रियाँ) में दरिद्रों की संख्या ७६८७ है। नगर क्षेत्र-फर्रूखाबाद की कुल जनसंख्या २९१३७४ (154776 पुरुष, 136598 स्त्रियाँ), कमालगंज की जनसंख्या 15471 (8248 पुरुष, 7229 स्त्रियाँ), मोहम्मदाबाद की जनसंख्या 24687 (13241 पुरूष, 11444 स्त्रियाँ), कायमगंज की कुल जनसंख्या 34484 (18135 पुरुष, 16249 स्त्रियाँ), शमशाबाद की जनसंख्या 28454 (14950 प्रेष, 13504 स्त्रियाँ), कम्पिल की कुल जनसंख्या 10271(5477 पुरुष, 4804 स्त्रियाँ) है। जिले में 98287 अन्त्योदय–बी.पी.एल.राशन धारक(९०४७२ ग्रामीण, ७८११ शहरी) एवं 107967 असहाय पेंशनर्स (90740 ग्रामीण, 17234 शहरी) हैं। कामगर-जनगणना-2011 के अनुसार, जनपद में कामगरों की जनसंख्या 592267 (स्त्रियाँ–97722, पुरूष–494545) है। कुल मुख्य कर्मकारों का जनसंख्या से प्रतिशत 31.4 (नगरीय-30.6%, ग्रामीण-31.7%) है। कृषि कर्मकारों का जनसंख्या से कुल प्रतिशत 16.72% है। कृषक एवं कृषि श्रमिक सहित कृषि श्रमिकों का जनसंख्या से कुल प्रतिशत 16.72% है। वर्ष 2015–16 में कृषक-245089(46.0%), कृषि श्रमिक—135669 (20.40%), पारवारिक उद्योग–43528 (5.6%) एवं अन्य मजदूर–167971 (28. 0%) है।

शिक्षण संस्थान

जनपद में 2059 प्राथमिक विद्यालय, 961 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 केन्द्रीय, 1 नवोदय, 6 कस्तूरबा, 1 आश्रम पद्धति, 197 इंटर कालेज, 76 डिग्री कालेज, 845 ऑगवाड़ी—प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि संचालित हो रहे हैं। परिषदीय और एडिड विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षामित्र, प्रेरक, कार्यकत्री, सहायिका, अनुदेशक, कोआर्डिनेटर, शिक्षाधिकारी, रसोइया, सेवक, स्वीपर, लिपिक कार्यरत हैं। जिनके वेतन—भत्तों तथा छात्रों के लिए मिड—डे—मील, दूध, फल, बस्तों, ड्रेसों आदि पर राष्ट्रीय आय का बहुत बडा हिस्सा व्यय

हो रहा है। इसके बावजूद स्कूलों में पढ़ाई न होने से कोई भी अपने प्रतिपाल्यों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का पूर्णतया अभाव है। इन स्कूलों में जो छात्र पंजीकृत हैं उनमें अधिकांश या तो प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं या पूर्णतया निरक्षर हैं। इनमें कार्यरत लगभग सभी रसोइयों एवं पंजीकृत छात्रों के अभिभावकों में अधिकांश की निरक्षरता और अशिक्षा जनपद की साक्षरता की वास्तविकता उजागर करती है।

प्रस्तुत अध्ययन 'दिरद्र व्यक्तियों की शैक्षिकता का अध्ययन' में फर्रू खाबाद जनपद के सभी नगर एवं ब्लाक क्षेत्रों के जो दिरद्रता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, को लिया गया है। चूँ कि जनपद में बी.पी.एल. परिवारों एवं असहाय पेंशनर्स तथा अन्त्योदय—बी.पी.एल.राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या लगभग समान (100000) और 1% भाग 1000 है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में सिवचार प्रतिदर्श पद्धित के आधार पर 1000 इकाइयों का प्रतिदर्श चुना गया है। इसके लिए उपयोग में लायी जाने वाली अनुसूची की रचना की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के 'दरिद्र व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों की शैक्षिकता का एक अध्ययन' है। इस अध्ययन में फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के दरिद्र व्यक्ति, जो दरिद्रता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, को लिया गया है। अध्ययन में चुनी 1000 इकाइयों की प्रतिदर्श सूची में ग्रामीण दरिद्र व्यक्तियों की संख्या 700 है, जिनमें विकासखण्ड—बढ़पुर के 100 व्यक्ति, कमालगंज के 100 व्यक्ति, कायमगंज के 100 व्यक्ति, मोहम्मदाबाद के 100 व्यक्ति, शमशाबाद के 100 व्यक्ति, राजेपुर के 100 व्यक्ति, नबाबगंज के 100 व्यक्ति हैं तथा नगर क्षेत्र—फर्रुखाबाद के 50 व्यक्ति, मोहम्मदाबाद के 50 व्यक्ति, कमालगंज के 50 व्यक्ति, कायमगंज के 50 व्यक्ति, शमशाबाद के 50 व्यक्ति, कम्पल के 50 व्यक्ति हैं। प्रतिदर्श सूची में वर्णित सभी जाति वर्ग के पुरूष की संख्या 362 एवं स्त्रियों की संख्या 638 है।

प्रस्तुत अध्ययन में फर्रूखाबाद जनपद के 6 नगरों के सभी 117 वार्डस तथा 7 विकास खण्डों की 517 ग्रामसभाओं में से 317 ग्राम सभाओं के दिदता की रेखा से नीचे गुजारा करने वाले (बी.पी.एल., अन्त्योदय, असहाय पेंशन धारकों व दिरद्र कल्याण योजनाओं के लाभार्थी) दिरद्र व्यक्तियों के घर—घर जाकर दिरद्र व्यक्तियों और उनके आश्रितों (पित, पत्नी और बच्चे) की शैक्षिक स्थिति का अवलोकन कर वार्ता की और उनकी शैक्षिकता के सम्बन्ध में अनुसूची निर्मित करके इनसे सम्बन्धित शोध का अध्ययन किया गया है। अनुसूची की सहायता से नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दिरद्र व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों की शैक्षिकता से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन करके प्राप्त तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से संकलित किया गया है तथा अनावश्यक तथ्यों से बचने के लिए इसका उपयोग किया गया है।

		- 0 /	_0	40		- 1. 1	· · · ·	<u> </u>		
ताालका '	1: दारद्र	व्याक्तया	का	शाक्षकता	सम्बन्धा	प्रश्ना क	ं तथ्या व	क्रा विश्लषण	एवं व्याख्या	

प्रश्नभाग	प्राप्त उत्तर	नगर—क्ष	त्रि के स	गक्षात्का	रदाताओं	से प्रा	त उत्तर	ग्रामीण	–क्षेत्र व	के साक्ष	ात्कारद	ाताओं	से प्रात	उत्तर	ग्रामीण—न	गर से कुल	ग प्राप्त उत्तर
		फर्रु	कमा	मोह	काय	शम	कंपि	बढ़	कमा	मोह	काय	शम	नबा	राजे	नग	ग्राम	कुल
1	पर्याप्त																
'	कम			2			1	2	9	23	1	7	2	25	3	69	72
	नहीं	50	50	48	50	50	49	98	91	77	99	93	98	75	297	631	928
कुल	उत्तरदाता	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	300	700	1000
	पर्याप्त																
2	कम									2				1	0	3	3
	नहीं	50	50	50	50	50	50	100	100	98	100	100	100	99	300	631	997
कुल	उत्तरदाता	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	300	700	1000
	पर्याप्त																
3	कम									3			3	2	0	8	8
	नहीं	50	50	50	50	50	50	100	100	97	100	100	97	98	300	631	992
कुल	उत्तरदाता	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	300	700	1000
	पर्याप्त																
4	कम		1	2	1	3	7	16	5	13	21	11	16	4	14	86	100
	नहीं	50	49	48	49	47	43	84	95	87	79	89	84	96	286	614	900
कुल	उत्तरदाता	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	300	700	1000

प्रस्तुत अध्ययन की साक्षात्कार अनुसूची में दरिद्रता व्यक्तियों की शैक्षिकता सम्बन्धी प्रश्न चार भागों में विभाजित है। इस प्रश्न के प्रथम भाग में दरिद्र व्यक्तियों के प्राथमिक पाठशाला या उच्च प्राथमिक पाठशाला या मदरसा के उपभोग की स्थिति का अध्ययन किया हैं। प्रत्येक साक्षात्कारदाता प्राथमिक पाठशाला या उच्च प्राथमिक पाठशाला या मदरसा के उपभोग की स्थिति बताता है। दरिद्रताग्रस्त 1000 साक्षात्कारदाताओं से उनके द्वारा प्राथमिक पाठशाला या उच्च प्राथमिक पाठशाला या मदरसा का उपभोग कर पाने के सम्बन्ध में पूँछा गया तो प्रश्न के उत्तर में 72 साक्षात्कारदाताओं ने कम, 928 साक्षात्कारदाताओं ने नही बताया है। प्रश्न के द्वितीय भाग में दरिद्र व्यक्तियों के प्रौढ या आंगनबाडी केन्द्र के उपभोग की स्थिति का अध्ययन किया हैं। प्रत्येक साक्षात्कारदाता प्रौढ या आंगनबाडी केन्द्र के उपभोग की स्थिति बताता है। दरिद्रताग्रस्त 1000 साक्षात्कारदाताओं से उनके द्वारा प्रौढ या आंगनबाडी केन्द्र का उपभोग कर पाने के सम्बन्ध में पुँछा गया तो प्रश्न के उत्तर में 3 साक्षात्कारदाताओं ने कम, 997 साक्षात्कारदाताओं ने नही बताया है। प्रश्न के तृतीय भाग में दरिद्र व्यक्तियों के उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय के उपभोग की स्थिति का अध्ययन किया हैं। प्रत्येक साक्षात्कारदाता उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय के उपभोग की स्थिति बताता है। दरिद्रताग्रस्त 1000 साक्षात्कारदाताओं से उनके द्वारा उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय का उपभोग कर पाने के सम्बन्ध में पूँछा गया तो प्रश्न के उत्तर में में 8 साक्षात्कारदाताओं ने कम, 992 साक्षात्कारदाताओं ने नही बताया है। प्रश्न के चतुर्थ भाग में दरिद्र व्यक्तियों के पब्लिक या कान्वेंट या अन्य विद्यालय के उपभोग की स्थिति का अध्ययन किया हैं। प्रत्येक साक्षात्कारदाता पब्लिक या कान्वेंट या अन्य विद्यालय के उपभोग की स्थिति बताता है। दरिद्रताग्रस्त 1000 साक्षात्कारदाताओं से उनके द्वारा पब्लिक या कान्वेंट या अन्य विद्यालय का उपभोग

कर पाने के सम्बन्ध में पूँछा गया तो प्रश्न के उत्तर में 100 साक्षात्कारदाताओं ने कम, 900 साक्षात्कारदाताओं ने नही बताया है। प्रत्येक भाग में प्रत्येक साक्षात्कारदाता को उत्तर- पर्याप्त के लिए 0 अंक, कम के लिए 1 अंक, नहीं के लिए 2 अंक दिए गए हैं। प्रथम भाग में उत्तर के लिए 72 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 1 अंक. 928 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 2 अंक दिए गए हैं, द्वितीय भाग में उत्तर के लिए 3 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 1 अंक, 997 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 2 अंक दिए गए हैं, भाग-3 में उत्तर के लिए 8 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 1 अंक, 992 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 2 अंक दिए गए हैं तथा चत्र्थ भाग में उत्तर के लिए 100 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 1 अंक, 900 साक्षात्कारदाताओं में प्रत्येक को 2 अंक दिए गए हैं। इस प्रकार 1000 साक्षात्कारदाताओं के कुल प्राप्तांकः भाग-1 में 1928, भाग-2 में 1997, भाग-3 में 1992, भाग-4 में 1900 अंक हैं जिनका योग 7684 एवं औसत 7.864 है। इसी प्रकार 1000 साक्षात्कारदाताओं ने क्ल अंक भाग-1 में 2000 अंक, भाग-2 में 2000 अंक, भाग-3 में औसत 8 है। अधिकतम अंक योग एवं प्राप्तांक योग तथा औसत में अन्तर क्रमशः ३७६, ०.१३६ है।

निष्कर्ष

निदर्श में चुने गए 1000 दिर व्यक्तियों के परिवार में 0.72% दिर व्यक्ति प्राथमिक पाठशाला या उच्च प्राथमिक पाठशाला या मदरसा, 0.3% दिर व्यक्ति प्रोढ़ शिक्षा या आंगनबाड़ी केन्द्र, 0.8% दिर व्यक्ति उच्चतर एवं माध्यमिक विद्यालय, 10% दिर व्यक्ति पब्लिक या कान्वेट या अन्य विद्यालय का उपभोग कर पा रहे हैं। शेष 96% दिर शिक्षण संस्थानों के उपभोग से वंचित हैं।

तालिका 2: दरिद्रों के आश्रितों की शैक्षिकता सम्बन्धी प्रश्नों के तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रश्न	उत्तर	नगरीय—क्षेत्र							ग्रामीण—क्षेत्र								कुल		
		फर्र्ल	कमा	मोह	काय	शम	कंपि	बढ़	कमा	मोह	काय	शम	नबा	राजे	नग	ग्राम	कुल		
	हाँ	46	49	44	49	44	46	100	93	82	96	99	83	88	278	641	919		
	नहीं	4	1	6	1	6	4	0	7	18	4	1	17	12	22	59	81		
कुल	उत्तर	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	300	700	1000		

साक्षात्कार अनुसूची के दिरद्रों के आश्रितों की शैक्षिकता सम्बन्धी प्रश्न में दिरद्र व्यक्तियों से उनके परिवार में किसी ने भी पाँच वर्ष की स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं की है का अध्ययन किया है। प्रत्येक साक्षात्कारदाता अपने परिवार में किसी ने भी पाँच वर्ष की स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं किए जाने के सम्बन्ध में बताया है जिसके प्रत्येक उत्तर हाँ के लिए 1 एवं नहीं के लिए 0 अंक दिए हैं। दिरद्रताग्रस्त 1000 साक्षात्कारदाताओं से उनके परिवार में किसी ने भी पाँच वर्ष की स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं की है के सम्बन्ध में पूँछा गया तो 919 ने हाँ एवं 81 ने नहीं बताया है। प्रत्येक उत्तर 919 साक्षात्कारदाताओं को हाँ के लिए 1 अंक एवं 81 साक्षात्कारदाताओं को नहीं के लिए 0 अंक दिए हैं। इस प्रकार 1000 साक्षात्कारदाताओं के प्राप्तांकों का कुल योग 919 और औसत 0. 918 है तथा अधिकतम अंकों का कुल योग 1000 और औसत 1 है। अधिकतम अंकों के कुल योग एवं प्राप्तांकों के कुल योग में अन्तर तथा औसत में अन्तर क्रमशः 81, 0.082 है।

निष्कर्ष

निदर्श में चुने गए 1000 दरिद्र व्यक्तियों के परिवार में 8.1% दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों में कोई न सदस्य साक्षर है तथा 91.9% दरिद्र व्यक्तियों के परिवारों में सभी सदस्य अनपढ और निरक्षर हैं। जनपद के लगभग सभी मजरों-वार्डों में बने बडे-बडे स्कूल भवन व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। इन भवनों में पढाई के अतिरिक्त सब कुछ देखने को मिल रहा है। यथा दावत के भण्डारे, पौणालिक स्थलों एवं पार्कों की भाँति बच्चों की उछल-कूद, शिक्षकों-रसोइयों के गट-गपशप, फेरी व्यापारियों से खरीदारी, मोबाइल पर गेम्स एवं लम्बी वार्ता के नजारे दिखते हैं। कार्यरत अधिकांश शिक्षक ड्यूटी साइन करने के लिए यदा-कदा स्कूल आते हैं और बच्चों को पढ़ाए बिना चले जाते हैं। अनेक शिक्षक घर बैठे बिना शिक्षण कार्य वेतन लेकर राजनीति-व्यापार में सक्रिय हैं। अनेक शिक्षक अपनी जगह बेरोजगारों को अपने वेतन से कुछ पैसा देकर पढवा रहे हैं। मिड-डे-मील का बचा राशन बन्दर-बाँट कर घर ले जाया जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि मिड-डे-मील व्यवस्था समाप्त होने पर छात्र जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु प्रधान–शिक्षक व उनके परिजन भूखे रह जाएँगे।

शिक्षा बोर्ड, उच्चिशिक्षा, टेक्नीकल, चिकित्सीय, विधि कालेज एवं शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा—माफियाओं द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को नष्ट कर प्रबन्धन एवं शिक्षण में फर्जीबाड़ा कर स्वलाभ कमाया जा रहा है। मानक विहीन समितियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय संचालन की मान्यता लेकर भावी पीढी का भविष्य बर्वाद कर रहीं है। एडिड एवं स्विवत्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबन्धक कालेज सम्बद्धता—मान्यता पत्राविलयों में फर्जी, भ्रामक, अमानक तथ्यों—प्रपत्रों तथा शपथ—पत्रों में जोड—तोड कर और स्वयं मनमाने ढंग से सत्यापित कर फर्जीबाडा कर रहे हैं तथा बोर्ड—शिक्षा कर्मचारियों से सांठ—गांठ एवं धन प्रभाव से मनचाही जाँच, साक्षात्कार, नियुक्ति के फर्जी प्रपत्र बनाकर पत्राविलयों में शामिल करा रहे हैं। जिसके माध्यम से शिक्षा विकास की योजनाओं की निधियों के घन को हड़प कर कालेज भूमि, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबन्धतन्त्रों के लोगों एवं उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा—छात्र—बेरोजगार—समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है।

सुझाव

र्केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त एडिड—अनएडिड, पब्लिक विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए और शिक्षण विहीन एवं नकल परीक्षा कराने वाले विद्यालय तत्काल बंद होने चाहिए। धार्मिक, भारतीय, अंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नाम से गैर पंजीकृत विद्यालयों पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। शिक्षकों—प्रबंधतत्रों के फर्जीबाड़ों, फर्जी छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त, शिक्षक—कर्मी वेतन, निजी आवास के पास वाले स्कूल में तैनाती, शिक्षामानक व छात्रहित उपेक्षा पर तत्काल अंकुश लगाकर, मानकीय व्यवस्था अनुरूप शैक्षिक जगत में योगदान दिया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

- 1. सेंसस ऑफ इंडिया 2011, उ.प्र, सीरीज—10, पार्ट 12—बी, अर्थ व संख्या प्रभाग, सेंसस हैंड बुक, डाइरेक्टोरेट ऑफ सेंसस, ऑपरेशन उ.प्र
- दैनिक जागरण हिन्दी समाचार पत्र, जागरण प्रेस, 2 सर्वोदय नगर, कानपुर, दिनांक 27.03.2017, पेज 7
- 3. पत्रिका न्यूज फर्रुखाबाद, बेवसाइट-पत्रिका.काम
- जिला एवं सांख्यकीय पित्रका, अर्थ एवं लेखा प्रभाग, फर्रुखाबाद, वर्ष 2014–15, तालिका 1
- 5. https:/Farrukhabad.wikipedia.org
- 6. बाहरी हरदेव, हिन्दी शब्दकोष, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, वर्ष 1991
- 7. मित्तल एम.एल. एवं रस्तोगी वर्षा, भारतीय समाज, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्टेट, सुभाष बाजार, मेरठ, वर्ष 1991–92
- 8. मंगल के.पी. एवं सिंह आर.एन., बी.एड्. दिग्दर्शन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा—2, वर्ष 2010